



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ज्येष्ठ 31, 1938

No. 1547]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2016

का.आ. 2160(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1295 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में,-

(क) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(4) सुश्री लोपामुद्रा मोहंती,
निदेशक (महिला कल्याण),
महिला और बाल विकास मंत्रालय,
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (रा म स मि),
कमरा संख्या 303, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
-सदस्य”;

(ख) क्रम संख्यांक (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(5) अधीक्षण इंजीनियर,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ठेका और नियमावली)
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
-सदस्य”;

(ग) क्रम संख्यांक (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, “उक्त नियम के नियम 3 के खंड (घ) के अधीन उक्त

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (घ) के अधीन नियुक्त:" ;

(घ) क्रम संख्यांक (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(6) श्री आलोक कुमार,
कार्यपालक निदेशक, (औद्योगिक संबंध),
रेल मंत्रालय, (रेल बोर्ड)
नई दिल्ली-110001

-सदस्य";

(ङ.) क्रम संख्यांक (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(7) श्री अनिल कुमार दुबे,
कार्यपालक निदेशक,
सिविल इंजीनियरिंग (साधारण),
रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड),
नई दिल्ली-110001

-सदस्य";

(च) क्रम संख्यांक (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, "उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ङ.) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ङ.) के अधीन नियुक्त:" ;

(छ) क्रम संख्यांक (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(9) श्री शितांशु प्रसाद,
कार्यपालक निदेशक(कार्मिक और प्रशासन),
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड,
इस्पात भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

-सदस्य"

(ज) क्रम संख्यांक (10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(10) अध्यक्ष,
बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (दिल्ली केन्द्र),
बी-001, 'वाई शेप' भवन,
नई दिल्ली-110002

-सदस्य"

- (झ) क्रम संख्यांक (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“(11) अधीक्षण इंजीनियर(प्रौद्योगिकी विधि सेल),
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
-सदस्य”
- (ञ) क्रम संख्यांक (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“(12) श्री आर.के. शर्मा,
महासचिव,
भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ,
फीमी हाउस, बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस -1,
नई दिल्ली-110020
-सदस्य”
- (ट) क्रम संख्यांक (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, “उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त” शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-
“उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन नियुक्तः” ;
- (ठ) क्रम संख्यांक (16) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“(16) श्री वृज बिहारी शर्मा,
भारतीय मजदूर संघ,
बुदिदिहा, सीटीपीएस रोड,
दुर्गा, जिला बोकरो,
झारखंड
-सदस्य”;

[सं. यू. 23013/11/2015-एल.डब्ल्यू.(बी)]

विपिन मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2195(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

“Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (e) of rule 3 of the said rules.”;

- (g) for serial number (9) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

“(9) Shri Shitanshu Prasad,
Executive Director (Personnel and Administration),
Steel Authority of India Limited,
Ispat Bhavan, Lodi Road,
New Delhi-110003 -Member”;

- (h) for serial number (10) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(10) The Chairman,
Builder Association of India (Delhi Centre),
B-001, ‘Y’ Shape Building,
New Delhi- 110002. -Member”;

- (i) for serial number (11) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(11) The Superintending Engineer (Techno Legal Cell)
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan,
New Delhi – 110011 -Member”;

- (j) for serial number (12) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(12) Shri R.K. Sharma,
Secretary General,
Federation of Indian Mineral Industries,
FIMI House, B-311, Okhla Industrial Area, Phase-I,
New Delhi – 110020 -Member”;

- (k) after serial number (12) and the entries relating thereto, for the heading “Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under clause (f) of rule 3 of the said rules:”, the following heading shall be substituted, namely:-

“Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (f) of rule 3 of the said rules:”;

- (l) for serial number (16) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

“(16) Shri Brij Bihari Sharma,
Bharatiya Mazdoor Sangh, Budidiha,
CTPS Road, Dugda, District Boakro,
Jharkhand. -Member”.

[No.U-23013/11/2015-L.W. (B)]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 2195(E), dated the 2nd April, 2016.